इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 83] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 फरवरी 2018—माघ 13, शक 1939

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2018

कमांक–एफ–3/147/2011/32 :: एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, (कमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत नागदा निवेश क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना 2021 में राज्य शासन द्वारा अधिनियम की धारा– 19 (2) के अंतर्गत उपातंरण करने संबंधी जारी समसंख्यक सूचना दिनांक 11/07/2017 के निरन्तर में पुनः धारा– 19 (2) के अंतर्गत निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा–19 उपधारा–2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के माध्यम से दिनांक 02/02/2018 को प्रकाशित किया जा रहा है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण बेबसाईट **www.mptownplan.nic.in** पर उपलब्ध है तथा जिसका निम्नलिखित कार्यालयों समय में अवकाश के दिन छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा –

(1) अवर सचिव, मध्यप्रदेश ,नगरीय विकास एवं आवास विभाग, कक्ष कमांक–302 बी, तृतीय तल, मंत्रालय, भोपाल,

(2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय उज्जैन।

1. उपांतरण का विवरणः–

प्रारूप विकास योजना नागदा 2021 की पुस्तिका में विकास योजना रंगीन मानचित्र, कंडिका 4.13 (2), कंडिका 5.5 (2), कंडिका 6.14 (6) एवं सारणी क्रमांक 6–सा–15 में संशोधन कर उपातंरण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित उपातंरण संबंधी विस्तृत विवरण का अवलोकन बेवसाईड **www.mptownplan.nic.in** पर किया जा सकता है।

उक्त उपांतरण विवरण के संबध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते है। समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया जा सकेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.